डाटा के स्रोतों और कार्यप्रणाली पर व्याख्यात्मक टिप्पणी

आंकड़ा स्रोत

यह अध्ययन अट्ठाईस राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों में प्रस्तुत प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों पर आधारित है। विधानसभा वाले दो केंद्र शासित प्रदेशों, यथा राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी संबंधी आंकड़े सभी विवरणों में ज्ञापन मदों के रूप में अलग से दिए गए हैं। यह विश्लेषण अट्ठाईस राज्य बजटों में प्रस्तुत आंकड़ों और उनके लेखांकन के वर्गीकरण के अनुसार किया गया है। विस्तृत परिशिष्ट राजस्व और पूंजी खातों में अलग-अलग राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की प्राप्ति एवं व्यय के वर्गीकरण और 'योजना' एवं 'योजनेतर' में उनके विभाजन पर आधारित हैं। राज्य सरकारों से गारंटियों (आकस्मिक देयताएं) के स्तर, मजदूरी और वेतन पर खर्च एवं परिचालन तथा रखरखाव के बारे में कुछ अनुपूरक जानकारी भी प्राप्त की गई है। अतिरिक्त संसाधन संग्रहण (एआरएम) पर जानकारी इस अध्ययन में अलग से प्रस्तुत नहीं की गई है और संबंधित प्राप्ति शीर्ष में शामिल की गई है। संस्थागत सुधारों के संबंध में राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी सारणी 2 में प्रस्तुत की गई है। राज्यवार योजना परिव्यय के संबंध में योजना आयोग से प्राप्त जानकारी को भी इस अध्ययन में शामिल किया गया है। बारहवें वित्त आयोग (टीएफसी) की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारों को दी गई ऋण राहत से संबंधित आंकड़े वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त किए गए हैं। इसके अलावा, आंकड़ों की कई मदों, जिनमें अर्थोपाय अग्रिम, ओवरड्राफ्ट, बाजार से लिए गए उधार, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में राज्य सरकारों के निवेश शामिल हैं, से संबंधित जानकारी रिज़र्व बैंक के अभिलेखों से प्राप्त की गई है।

परिशिष्ट III (पूंजीगत प्राप्तियां) और परिशिष्ट-IV (पूंजीगत व्यय) में सरकारी लेखा सहित सभी मदों के लिए दिए गए आंकड़े समग्र आधार पर हैं। परिशिष्ट-III में कुल पूंजीगत प्राप्तियों की जानकारी है जिसमें निवल आधार पर सरकारी लेखों की जानकारी शामिल है तथा परिशिष्ट IV सरकारी लेखा के अलावा कुल पूंजीगत व्यय बताता है। पूंजीगत प्राप्तियों के लिए परिशिष्ट सारणियां (समेकित), विवरण (राज्यवार) और विश्लेषण सरकारी लेखा (निवल) पर आधारित हैं जबकि सरकारी लेखा को पूंजीगत व्यय से निकाल दिया गया है। इस अध्ययन में सभी राज्यों का योग एनसीटी दिल्ली और पुदुचेरी को छोड़कर अट्ठाईस राज्यों से संबंधित है। इस अध्ययन में प्रयोग किए गए प्रत्येक राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद संबंधी आंकड़ों को केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) से लिया गया है। इसकी संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों में प्रयोग किए गए जीएसडीपी अनुमान से की गई है। जहाँ कहीं जीएसडीपी आंकड़े उपलब्ध नहीं थे वहाँ आंकड़ों को पिछले तीन वर्षों की औसत विकास दर पर आधारित अनुमानों के अनुसार लिया गया है। सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित आंकड़े वर्तमान बाजार मूल्य से संबंधित हैं और उन्हें 2006-07 तक (सं.अ.) सीएसओ से तथा 2007-08 (ब.अ.) के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से लिया गया है। यह उल्लेखनीय है कि किसी भी वर्ष का सकल राज्य घरेलू उत्पाद / सकल घरेलू उत्पाद बजट अनुमान (ब.अ.) से संशोधित अनुमान (सं.अ.) में और वहाँ से लेखा में परिवर्तित हो जाता है। जीएसडीपी/जीडीपी अनुपात जीएसडीपी /जीडीपी के अद्यतन उपलब्ध अनुमानों पर आधारित है। परिशिष्ट सारणियों और विवरणियों में बताया गया प्रतिशत अंतर आंकड़ों को पूर्णांकित करने के कारण अलग-अलग हो सकता है।

कार्यप्रणाली

जैसा कि बजट दस्तावेजों में बताया गया है, व्यय संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण को विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय में विभाजित किया गया है। राजस्व लेखा, पूंजीगत परिव्यय एवं ऋण और अग्रिमों से संबंधित सभी खर्चों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं में वर्गीकृत किया गया है। मोटे तौर पर, विकासात्मक व्यय में सामाजिक और आर्थिक सेवाएं शामिल हैं, जबकि सामान्य सेवाओं पर हुए खर्च को गैर विकासात्मक खर्च माना जाता है। यह पुनर्वर्गीकरण बजट दस्तावेज में प्रस्तुत

कुल प्राप्तियों, व्यय और समग्र शेष में कोई परिवर्तन किए बिना किया जाता है। परिशिष्ट III और परिशिष्ट IV में सकल आधार पर डाटा प्रस्तुतीकरण के बावजूद विश्लेषण में प्रयुक्त समग्र घाटा/अधिशेष (परंपरागत घाटा/अधिशेष) नकद घाटा/अधिशेष (अंतिम शेष और प्रारंभिक शेष के बीच का अंतर), नकदी शेष निवेश लेखा में वृद्धि / कमी और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम में वृद्धि / कमी के बराबर है क्योंकि परिशिष्ट III और परिशिष्ट IV में बताई गई बाद वाली दो मदों को क्रमशः पूंजीगत प्राप्तियों (निवल आधार पर सरकारी लेखों सहित, और पूंजीगत व्यय (पूंजीगत लेखा को छोड़कर) में से निकाल दिया गया है।

ऋण सांख्यिकी के लिए कार्यप्रणाली

2005-06 के बजटों के अध्ययन में रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों की बकाया देयताओं के आंकड़े 1990-91 से संकलित किए थे। 2006-07 के अध्ययन में बकाया देयताओं की संशोधित श्रृंखला प्रकाशित की गई थी जिसमें राज्य सरकारों की आरक्षित निधि, जमाराशि और अग्रिम तथा आकस्मिकता निधि के आंकड़े शामिल थे। वर्तमान अध्ययन में डाटा सीरीज को 2003-04 से संशोधित करने का प्रयास किया गया है। किसी भी अन्य संगत डाटा स्रोत के अभाव में इस रिपोर्ट में प्रयुक्त ऋण पर डाटा संकलन की अपनाई गई पद्धति का ब्यौरा बॉक्स 7 में दिया गया है जो पृष्ठ 49 पर है।

परिशिष्ट सारणी 20 और 21 और विवरण 26 से 28 में दिए गए राज्यों की ऋण स्थिति के आंकड़े अनंतिम हैं। बाजार से लिए गए राज्यवार ऋणों (विवरण 32) के आधार पर बकाया राज्य सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता की जानकारी विवरण 34-35 में दी गई है। इन विवरणों में भारत सरकार की अधिसूचना के आधार पर विभक्त हुए तीन राज्यों की देयताओं के उनके संबंधित नवनिर्मित राज्यों में किए गए विनियोजन को शामिल किया गया है।

नोट : 1980-81 से 2003-04 (ब.अ.) तक की अवधि के लिए प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के संबंध में राज्यवार आंकड़े तथा 1990-91 से 2003-04 (ब.अ.) तक की अवधि के लिए राजस्व और पूंजी लेखा में हुए लेनदेनों के संबंध में राज्यवार विस्तृत आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जून 2004 में प्रकाशित, राज्य सरकार के वित्त पर सांख्यिकी पुस्तिका, में प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रकाशन को रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर देखा जा सकता है। 2001-02 से राज्य वित्त अध्ययन भी रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।